

**उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०**  
**में फीडर लाइन, सब स्टेशन के कार्य हेतु**  
**पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप**

यहां स्वप्रमाणित  
पासपोर्ट साईज  
फोटो चस्पा  
करें।

1-	फर्म का नाम एवं पता	
2-	फर्म के स्वामी का नाम/स्थायी पता (पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड पत्र में से किसी एक की छायाप्रति पते के साक्ष्य के रूप में संलग्न करें)	
3-	वर्तमान पता	
4-	GSTIN (छायाप्रति संलग्न करें)	
5-	आयकर पैन कार्ड नम्बर तथा कर निर्धारण का साक्ष्य (आईटीआर० एवं बैलेन्स शीट) संलग्न करें।	
6-	चरित्र प्रमाण पत्र (संलग्न करें)	
7-	हैसियत प्रमाण पत्र (संलग्न करें)	
8-	श्रम विभाग का पंजीयन	
9-	विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत Class-A लाइसेन्स (संलग्न करें)	
10-	पंजीकरण शुल्क रु० 10,000.00+जी०एस०टी० (डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में)	
11-	धरोहर धनराशि रु० 1,00,000.00 (एफ०डी०आर० मूल रूप में)	

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

**उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 में फीडर लाईन, सब स्टेशन कार्य हेतु पंजीकरण/सूचीबद्ध किये जाने को नियम व शर्तः—**

1. पंजीकरण शुल्क हेतु रु0 10,000.00+जी0एस0टी0 का किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/शिड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा आई0सी0आई0सी0आई0/एक्सिस/एच0डी0एफ0सी0/आई0डी0बी0आई0 बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 के पक्ष में (Payable at Lucknow) जमा करना होगा।
2. धरोहर धनराशि हेतु रु0 1,00,000.00 की एफ0डी0आर0 किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/शिड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा आई0सी0आई0सी0आई0/एक्सिस/एच0डी0एफ0सी0/आई0डी0बी0आई0 बैंक का जो उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 के पक्ष में 04 वर्ष के लिए बंधक हो, मूलरूप में जमा करनी होगी।
3. सूचीबद्धता हेतु GST और आयकर में पंजीकृत होना चाहिए। इस हेतु कर निर्धारण के साक्ष्य (पिछले 03 वर्ष) के आई0टी0आर0 एवं इन्ही वर्षों की बैलेन्स शीट तथा पैन कार्ड प्रस्तुत करना होगा।
4. हैसियत प्रमाण पत्र (Solvency) रु0 50,00,000.00 (रुपये पचास लाख) की जिलाधिकारी/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी जमा करनी होगी। फर्म/कम्पनी की दशा में फर्म के नाम जारी हैसियत प्रमाण पत्र मान्य होगा।
5. चरित्र प्रमाण पत्र जिलाधिकारी द्वारा निर्गत संलग्न करना होगा। पार्टनर शिप फर्म की दशा में प्रत्येक पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. मुख्य विद्युत निरीक्षक, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदत्त 'क' श्रेणी का अनुमोदित वैध विद्युत लाइसेंस हाल्डर होना आवश्यक है।
7. अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में किसी भी राजकीय विभाग/राजकीय निर्माण एजेन्सी में उक्त कार्य के दो कार्यों को पिछले 05 वर्षों में सफलतापूर्वक पूर्ण करने का अनुभव प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो, संलग्न करना होगा।
8. बाट—आउट सामग्रियों की दशा में उत्पादकों का अधिकृत डीलर/वितरक होना आवश्यक है, इसका प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
9. सम्बन्धित फर्म का श्रम विभाग में नियमानुसार पंजीकरण आवश्यक होगा तथा प्रभावी श्रम नियमों के अनुपालन का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।
10. पी0एफ0 रजिस्ट्रेशन। (यदि उपलब्ध है)
11. फर्म/कम्पनी को रु0 100/- के स्टाम्प पेपर पर एक नोटरी सर्टफाइड शपथ पत्र देना होगा कि "उनकी फर्म के खिलाफ न्यायालय में कोई अपराधिक/वित्तीय अनियमितता का केस विचाराधीन नहीं है, फर्म/कम्पनी को किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है तथा उनके द्वारा सूचीबद्धता हेतु प्रस्तुत किया गया कोई

भी अभिलेख यदि असत्य पाया जाता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व फर्म/कम्पनी का होगा”।

12. पंजीकरण 03 वर्ष के लिए वैध होगा, पंजीकरण होने के उपरान्त 03 वर्ष के अन्तर्गत धरोहर की धनराशि लौटाई नहीं जायेगी।
13. उक्त प्रक्रिया मात्र पंजीकरण हेतु लागू होगी। पंजीकृत फर्म विभाग द्वारा प्रकाशित निविदा में भाग ले सकेंगी, किन्तु कार्य आवंटन हेतु निविदा में उल्लिखित नियम एवं शर्तें मान्य होंगी।
14. फर्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत एवं उसके कृत्यों के आपत्तिजनक पाये जाने पर संयुक्त क्रय समिति द्वारा कभी भी पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
15. वैधता समाप्त होने के पहले पंजीकरण का नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा अन्यथा उनका पंजीकरण स्वतः निरस्त माना जाएगा।
16. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।